

जोधपुर नगर निगम, जोधपुर
(डेयरी, पशुघर एवं अस्तबल आदि के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र)

प्रपत्र-अ

आवेदन क्रमांक :

दिनांक/...../.....

1. पशुपालक का नाम : -

2. रहवास का पता : -

..... वार्ड नं.

.....

दुरभाष नं. : मोबाईल नं.

पते के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेज :-

राशन कार्ड प्रति पानी का बिल प्रति

बिजली बिल प्रति आधार कार्ड प्रति

वोटर आई डी कार्ड प्रति अन्य

रहवास के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज : -

(1) पट्टे की प्रति / लाईसेन्स की प्रति (2) किरायानामा की प्रति

(3) रजिस्ट्री की प्रति (4) अन्य

3. पशुओं का विवरण : -

पशु	संख्या	टेग संख्या	पशु	संख्या	टेग संख्या
गाय			भैंस		
बैल			बछड़े		
बकरी/बकरा			भेड़		
घोड़े			खच्चर		
गधे			अन्य		

4. पशु के घरेलू उपयोग के समर्थन में शपथ पत्र :-

5. पशुघर का क्षेत्रफल : - फुट X फुट = वर्ग फुट

हस्ताक्षर :

आवेदनकर्ता का नाम

पता

.....

घोषणा :-

मैंने/हमने नगर निगम, जोधपुर (डेयरी, पशुघर एवं अस्तबल आदि के नियंत्रण व नियमन एवं आवारा पशु नियंत्रण) उपविधियों 2015 पढ़कर/पढ़वाकर समझ लिये हैं और मुझे/हमें अनुज्ञा मिलने पर मैं/हम उसका अनुपालना करूंगा/करेंगे और करता रहूंगा/रहेंगे, अन्यथा मेरे/हमारे विरुद्ध उपविधियों के तहत कार्यवाही की जाये।

दिनांक : -

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

.....

-: मुख्य बातें/शर्तें :-

1. पंजीकृत पशुओं को आवारा विचरण हेतु सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा।
2. सभी प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित हों।
3. यह लाइसेंस प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक वैध रहेगा।
4. जिस स्थान के लिए लाइसेंस दिया जाना प्रस्तावित हो वह पशुओं की संख्या को देखते हुए उपयुक्त तथा पर्याप्त रूप से विस्तीर्ण होगा। प्रत्येक पशु के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल इस प्रकार होगा :-

a. गाय, भैंस, बैल, सांड	9 फुट X 9 फुट
b. घोड़ा, घोड़ी	12 फुट X 8 फुट
c. बकरा, बकरी, एवं भेड़	5 फुट X 4 फुट
5. लाइसेंस शुदा स्थान पर्याप्त हवादार और प्रकाश युक्त होगा।
6. डेयरी, पशुघरों अथवा अस्तबलों के अन्दर या उनकी छत पर किसी प्रकार का कोई आवासीय निर्माण नहीं किया जावेगा।
7. पशुघरों अथवा अस्तबलों की दीवारों की ऊँचाई धरातल से कम से कम 5 फुट तक होगी।
8. कोई भी पशुघर अथवा अस्तबल ऐसे स्थान पर नहीं बनाया जावेगा जिससे 50 फुट की दूरी के अन्दर कोई खाद्य या पेय पदार्थ विक्रय किये जाने के लिए रखे जाते हों।
9. लाइसेंस इस शर्त पर दिया जावेगा कि जब भी अनुप्रज्ञाधिकारी आदेश दे उसके तीन माह के अन्दर ऐसे पशुघर अथवा अस्तबल हटा दिया जायेगा।
10. जब कभी भी निगम द्वारा जनहित में यह निर्णय लिया जावे कि पशुघरों अथवा अस्तबल को आवासीय बस्तियों से हटाकर किसी निर्धारित स्थान पर लें जाया जावें, तब ऐसा आदेश प्राप्त होने के एक माह के अन्दर पशुघर, अस्तबल अथवा डेयरी का स्वामी अपने पशुओं को वहां से हटाकर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थानान्तरित कर देगा। इस के लिये कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
11. प्रत्येक लाइसेंस धारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह गोबर, कुड़ा, करकट आदि के निष्पादन की नगरीय ठोस कचरा (प्रबन्धन व हथालन) नियम 2000 के अनुसार व्यवस्था करे, गोबर, लीद, कुड़ा, करकट आदि के लिए कुड़ादान रखें जिसमें से कुड़ा नगर निगम के सफाई कर्मचारी उठाकर ले जा सकेंगे। आवासीय बस्तियों में स्थित किसी भाग या खुली जगह में अथवा गड़ढा खोदकर गोबर, लीद आदि को इकट्ठा नहीं करेगा और न ही सड़क पर या घर के बाहर डालेगा। सार्वजनिक मार्ग के किनारे किसी दीवार पर कड़े या छाने सूखाने के लिए नहीं डालेगा।
12. पशुघर अस्तबल तथा पशुओं की पूरी सफाई रखेगा और प्रतिदिन कीटनाशक दवाईयां कर छिड़काव करेगा जिससे आसपास रहने वालों को कोई अनुत्रास न हो।
13. जहां अनुज्ञाधारी ने लाइसेंस की शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर एक माह का नोटिस, देकर लाइसेंस प्रत्याहरित कर लिया जावेगा।
14. शपथ पत्र (पशु उपयोग के संबंध में) सलंगन करना आवश्यक है।

—: शपथ पत्र :-

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... निवासी
..... शपथपूर्वक ब्यान करता
हूँ कि :-

1. मैं यह शपथ पत्र अपने पशुओं के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।
2. मैं घरेलू उपयोग हेतु पशु रखूंगा/रखूंगी।
3. मेरे द्वारा अपने पशुओं का उपयोग डेयरी प्रयोजनार्थ हेतु नहीं किया जायेगा।
4. मेरे पास अपने पशु रखने हेतु पर्याप्त जगह है।
5. मैं जोधपुर नगर निगम (डेयरी, पशुघर एवं अस्तबल आदि के नियंत्रण व नियमन एवं आवारा पशु नियंत्रण) उपविधियां 2015 की अनुपालना करूंगा/करूंगी।

शपथकर्ता

तस्दीक :-

मैं उपरोक्त शपथकर्ता तस्दीक करता हूँ कि इस शपथ पत्र के तमाम वाक्यात मेरे निजी ज्ञान व जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है, सत्य बोलने में ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथकर्ता